FORM No. III
Crime-I
फर्द अहकाम
(नियम 26)
आज अदालत...सहायक कलक्टर, मुकाम....खींवसर...
मिसल मुकदमा...राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर टी एक्ट
हड़मानराम बनाम जीताराम
मु. नं.......21............सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	16.07.2021 विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया । वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 02.09.2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर खींवसर	
2/9/21	उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत में रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत है अतः प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया जाता है पक्षकारान दि.28/x/21...को लोक अदालत में उपस्थित हो। अध्यक्ष लोक अदालत खींवसर	
28/x/21	उक्त प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021, कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत...2/3...................में पेश हुआ। उपस्थित पक्षकारान को प्रकरण में राजीनामा करने हेतु समझाया गया। पक्षकारों के मध्य प्रकरण में राजीनामा हेतु सहमति नहीं हो पाई। अतः प्रकरण पुनः न्यायालय में दिनांक ...18-1-22.......को पेश हो। पीठासीन अधिकारी प्र.ग्रा.के.अ. 2021 उपखण्ड अधिकारी खींवसर	
18/1/22	पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 19/4/22 प्रस्तुत हो।	
19/4/22	पत्रावली पेश ... पीठा... भ्रमण/मे... अवकाश ... दिनांक को...21/7/22	मीटिंग में/ हो चुका है/ ...पत्रावली ...

नकल पक्ष को ...
... अधिकारी की प्रति ...
... है / ... हो चुका है
... का ... है। ... कार्यवाही
... 20/11/...

[illegible] हस्ताक्षर

वकील वादी एवं वादी के निवेदन पर पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली गई। वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम उक्त वाद को जरिये विड्रोल खारिज करवाना चाहते है। वकील वादी एवं वादी ने प्रा. पत्र पेश कर बताया कि हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है एवं अब हम अपने वाद को आगे चलाना नहीं चाहते है। तथा जरिये विड्रोल खारिज करवाना चाहते है।

अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अब वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वकील वादी एवं वादी के निवेदन / प्रार्थना पत्र के आधार उक्त वाद को जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) खींवसर